

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 147/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यश बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय यश बैंक टॉवर, आईएफसी, 2, 15 वीं मंजिल, सेनापति बापत मार्ग,  
एल्फीनस्टोन (पश्चिम) मुम्बई एवं क्षेत्रीय कार्यालय आफिस नं. ई-1, एवं ई-45 याउण्ड फ्लोर सूडीबी  
हाल मार्क बिल्डिंग, गोतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ललित  
प्रकाश शर्मा ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भागचन्द मोटवारी (ऋणी)
2. श्रीमती संध्या मोटवानी (सहऋणी)  
निवासी 263/500, आर उच वी प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act. 2002

उपस्थित :- श्री विक्रम सिंह नाथावत अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।



आदेश

दिनांक 17.08.2020

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को ऋण खाता संख्या  
AHF002400127697 में दिनांक 09.09.2016 को एवं AHF002400130902 में दिनांक 04.10.2016  
को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री भागचन्द मोटवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति  
263/500, आरएचवी, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 47.625 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल  
राशि 19,31,229/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को  
ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को  
दिनांक 25.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण  
राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of  
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र  
प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस  
इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।


जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपरिथत नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 19,31,229/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 19,81,122/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 25.06.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री भागचन्द मोटवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति 263/500, आरएचबी, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 47.625 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्यन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (पूर्व) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्यन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 17.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (अन्तर सिंह नेहरा)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (फ्लक्टर) जयपुर